न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45/2020 प्रा.पत्र/2020	16.06.2020	28.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन निवासी बस स्टैण्ड सोप तह0 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पोरवाल किराना स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तहसील उनियारा जिला टोंक। पिनकोड नं–304024

2–मैसर्स पोरवाल किराना स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)। पिनकोड नं–304024

3–श्री लालचन्द जैन पुत्र श्री कालू लाल जैन निवासी वार्ड नं0 4 अलीगढ़ तह.उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स वर्धमान ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला टोंक। पिनकोड नं–304024

4–मैसर्स वर्धमान ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला टोंक। पिनकोड नं–304024

5–श्री भास्कर खण्डेत नॉमिनी मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजी बून्दी राज0/दी कैपिटल, 601 सी एण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बाद्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र। पिनकोड–400051।

6–मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजीह बून्दी राज0/दी कैपिटल, 601 सी एण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बाद्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र। पिनकोड–400051।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण 1 ता 4 व अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 व 6 श्री महेश शर्मा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 28/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2019 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स पोरवाल किराना स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तहसील उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पोरवाल किराना स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तहसील उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ कन्फैक्शनरी, गुड,

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

ADL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी साथ–साथ दुकान की रैंक में 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **रिफाइंड सोंयाबीन तेल(चम्बल फ्रेश ब्राण्ड)**रखा हुआ था, जिसके बैंच नं0 बीएनसी–210519 एवं पैकिंग की दिनांक मई–2019 थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैनको फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैंक में ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में **रिफाइंड सोंयाबीन तेल(चम्बल फ्रेश ब्राण्ड)**1–1 लीटर के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोंयाबीन तेल(चम्बल फ्रेश ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर के चार मूल पैक का नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2337 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2337नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता अशोक कुमार पोरवाल पुत्र श्री बाबूलाल जैन मैसर्स पोरवाल किराना स्टोर बस स्टैण्ड सोंप तहसील उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी वर्धमान ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया वर्धमान ट्रेडर्स बस स्टैण्ड के पास अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजी बून्दी राज0/दी कैपिटल, 601 सीएण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बाद्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2323 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस/2393/एक्ट/2019/1930 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोंयाबीन तेल(चम्बल फ्रेश ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1ता4 स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ वारन्टी बिल के आधार पर निर्मात फर्म से क्रय किया गया है एवं उसी अवस्था में विक्रय किया जा रहा था, अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। निर्माता फर्म अप्रार्थी सं0 5 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री महेश शर्मा उपस्थित हुए एवं लिखित बहस पेश की । लिखित बहस में अंकित किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सोंयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा लिखित बहस का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोंयाबीन तेल (चम्बल फ्रेश ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर निर्माता फर्म से खाद्य पदार्थ क्रय कर उसी पैक्ड अवस्था में विक्रय किया था, अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जता है एवं निर्माता फर्म अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0